न्यायालय :– न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरवाड़, जिला–अजमेर

पीठासीन अधिकारी : नवीन मीणा, आर.जे.एस.

आपराधिक नियमित प्रकरण सं. : 572/2021

सी.आई.एस. प्रकरण सं. : 572/2021

राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी.

ब ना म

मंजर हसन पुत्र जफर अली उम्र 43 साल निवासी मुसलमानों का बास, पिचियाक पुलिस थाना बिलाडा जिला जोधपुर

.....अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भा.दं.सं.

उपस्थितिः–

1. सहायक अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य.
2. श्री महेन्द्रसिंह राणावत, श्री पुष्कर्राज शर्मा अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

अपराध किए जाने की तिथि	30.09.2021
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	30.09.2021
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	30.11.2021
साक्ष्य आरम्भ किए जाने की तिथि	07.09.2022
निर्णय की तिथि	05.06.2026

नि र्ण य **दिनांक : 05.06.2026**

1. इस प्रकरण में दिनांक 30.11.2021 को विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने थानाधिकारी पुलिस थाना सरवाड़ की ओर से अभियुक्त मंजर हसन के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत 279, 304ए भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 30.09.2021 को प्रार्थी मनीराम ने थानाधिकारी पुलिस थाना सरवाड को एक टाईपशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की, कि दिनांक 30.09.2021 को दिन के करीब 2 बजे प्रार्थी तथा टहलराम पुत्र मगनमल ग्राम अजगरा एवं जगपुरा के मध्य केकडी जाने हेतु बस का इन्तजार कर रहे थे। इतने में सरवाड की ओर से एक पिकअप संख्या आरजे 19 जी.एफ. 3872 का ड्राईवर उक्त वाहन को तेजगति एवं लापरवाही से चलाकर टहलराम के जोरदार टक्कर मार दी जिसके कारण टहलराम के जबाडे व सिर में गंभीर चोट आई। उक्त

Authenticated Document

घटना वाहन चालक की लापरवाही से हुई क्योंकि प्रार्थी व मजरूब दोनो ही साईड में खडे थे। मजरूब को गंभीर अवस्था में केकडी अस्पताल लेकर गए परन्तु गंभीर होने के कारण जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल रैफर कर दिया, इत्यादि रिपोर्ट पर मुकदमा सं. 265/2021 धारा 279, 304ए भा.दं.सं. में दर्ज किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त मंजर हसन के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध उक्त आरोपित धाराओ में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. अभियुक्त के न्यायालय के उपस्थित आने पर उसे अन्तर्गत धारा 279, 304ए भा.दं.सं. हेतु आरोप सारांश पृथक से लिखित रूप से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने अपराध आरोप सारांश सुन व समझकर अस्वीकार किया तथा अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्न गवाहन को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया गया है –

क्र.सं. (पी.डब्ल्यु.)	**अभियोजन साक्षी**
पी.डब्ल्यु. 1	मनीराम
पी.डब्ल्यु. 2	विनोद
पी.डब्ल्यु. 3	नारायण दास
पी.डब्ल्यु. 4	ललित
पी.डब्ल्यु. 5	योगेन्द्र
पी.डब्ल्यु. 6	सुजीत
पी.डब्ल्यु. 7	सत्यवीर सिंह
पी.डब्ल्यु. 8	मोहनलाल
पी.डब्ल्यु. 9	सम्पत
पी.डब्ल्यु. 10	रोडू
पी.डब्ल्यु. 11	डॉ. गजेन्द्र पाल
पी.डब्ल्यु. 12	अली हसन

5. प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्न दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया है –

क्र.सं.	**प्रदर्श**	**दस्तावेज विवरण**
1	प्रदर्श पी–1	लिखित रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी–2	चॉक एफ.आई.आर.
3	प्रदर्श पी–3	नक्शा मौका
4	प्रदर्श पी–4	फर्द पंचायतनामा लाश
5	प्रदर्श पी–5	फर्द सुपुर्दगी लाश
6	प्रदर्श पी–6	पुलिस बयान सुजीत

Authenticated Document

7	प्रदर्श पी–7	मैकेनिकल मुआयना बाबत तहरीर
8	प्रदर्श पी–8	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट
9	प्रदर्श पी–9	फर्द जब्ती दुर्घटनाकारित वाहन
10	प्रदर्श पी–10	धारा 133/134 एम.वी.एक्ट का नोटिस एवं जवाब
11	प्रदर्श पी–11ए	मालखाना रजिस्टर की नकल
12	प्रदर्श पी–12	बिना नम्बरी मर्ग
13	प्रदर्श पी–13	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
14	प्रदर्श पी–14	फर्द सुपुर्दगी दुर्घटनाकारित वाहन पिकअप
15	प्रदर्श पी–15 लगायत प्रदर्श पी–18	दुर्घटनाकारित वाहन के फोटोग्राफ
16	प्रदर्श पी–19	पुलिस बयान सम्पत

6. अभियुक्त के धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत बयान लिए गए जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन पक्ष की साक्ष्य को गलत होना तथा स्वयं को झूंठा फंसाया जाना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं किए जाने पर साक्ष्य सफाई बंद की गई।

7. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया और अपने तर्क के संबंध में न्यायिक दृष्टान्त 2008 सीआरएलजे 1572 एससी जोरसिंह विरूद्ध मध्यप्रदेश पेश किया, जिसका ससम्मान अवलोकन किया गया। जबकि दौराने बहस अभियुक्त की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उक्त प्रकरण में गवाहान के बयानों से घटना की ताईद नहीं होती है। गवाहान के बयानों में गंभीर विरोधाभास है तथा अभियुक्त द्वारा ही उक्त घटना कारित की गई हो इस बाबत् किसी भी गवाहान ने अपने बयानों में कोई साक्ष्य प्रकट नहीं की है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषमुक्त करने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

8. उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि.....

9. **क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 30.09.2021 को समय दिन में करीब 2 बजे अजगरा और जगपुरा के मध्य लोकमार्ग पर पिकअप सं. RJ-19-GF-3872 को तेज गति, लापरवाही व उपेक्षापूर्ण तरीके से लोक स्थान पर चलाकर सडक के किनारे खडे टहलराम को टक्कर मारकर उसका जीवन संकटापित किया जिसके परिणामस्वरूप आहत के शरीर पर गंभीर उपहतियां कारित हुई एवं मृत्यु का आशय ना रखते हुए टहलराम की मृत्यु कारित की। यदि हां तो दण्ड की मात्रा क्या होगी?**

10. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त मंजर हसन के विरूद्ध अंतर्गत धारा 279, 304ए भा.दं.सं. एक्ट के आरोपों के तहत् विचारण किया गया है।

Authenticated Document

11. प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा प्रकरण इस आशय का दर्ज करवाया है कि दिनांक 30.09.2021 को दिन के करीब 2 बजे प्रार्थी तथा टहलराम पुत्र मगनमल ग्राम अजगरा एवं जगपुरा के मध्य केकडी जाने हेतु बस का इन्तजार कर रहे थे। इतने में सरवाड की ओर से एक पिकअप संख्या आरजे 19 जी.एफ. 3872 का ड्राईवर उक्त वाहन को तेजगति एवं लापरवाही से चलाकर टहलराम के जोरदार टक्कर मार दी जिसके कारण टहलराम के जबाडे व सिर में गंभीर चोट आई। उक्त घटना वाहन चालक की लापरवाही से हुई क्योंकि प्रार्थी व मजरूब दोनो ही साईड में खडे थे। मजरूब को गंभीर अवस्था में केकडी अस्पताल लेकर गए परन्तु गंभीर होने के कारण जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल रैफर कर दिया। सड़क दुर्घटना के कृत्य धारा 279 भा.द.स. व धारा 304ए भा.दं.सं. के प्रावधान के सहपठन से न्यायालय का विनम्र मत है उक्त कृत्य में अभियुक्त को दोषसिद्ध करने हेतु निम्नलिखित घटकों की पूर्ति होना आवश्यक है।

1. क्या वाहन पिकअप सं. आरजे 19 जी.एफ. 3872 के द्वारा ही उक्त दुर्घटना कारित की गई है?
2. क्या वक्त दुर्घटना वाहन पिकअप का चालक अभियुक्त मंजर हसन स्वयं हो?
3. अभियुक्त द्वारा वाहन उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण तरीके से निर्गमित हो?

घटक संख्या 1 – क्या वाहन पिकअप सं. आरजे 19 जी.एफ. 3872 के द्वारा ही उक्त दुर्घटना कारित की गई है?

12. हस्तगत प्रकरण में परिवादी मनीराम द्वारा एक टाईपशुदा रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 इस आशय की पेश की है कि दिनांक 30.09.2021 को दिन के करीब 2 बजे प्रार्थी तथा टहलराम पुत्र मगनमल ग्राम अजगरा एवं जगपुरा के मध्य केकडी जाने हेतु बस का इन्तजार कर रहे थे। इतने में सरवाड की ओर से एक पिकअप संख्या आरजे 19 जी.एफ. 3872 का ड्राईवर उक्त वाहन को तेजगति एवं लापरवाही से चलाकर टहलराम के जोरदार टक्कर मार दी जिसके कारण टहलराम के जबाडे व सिर में गंभीर चोट आई। इस संबंध में न्यायालय के समक्ष जब प्रार्थी **मनीराम को गवाह पी.ड. 1** के रूप में परीक्षित किया गया तो गवाह ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 30–09–2021 को वह व टहलराम दोनो गोयला देखने के लिए अजमरा व जगपुरा गए थे। गोयला देखकर अजमेर–कोटा रोड पर बस का इंतजार कर रहे थे। दोपहर 2 बजे जब वे दोनो बस का इंतजार कर रहे थे एक पिकअप तेजगति व लापरवाही से टहलराम के टक्कर मार दी, जिससे उसके सिर व शरीर पर चोट आयी। पिकअप वाला मौके पर पिकअप छोडकर भाग गया। पिकअप के नम्बर आरजे 19 जीएफ 3872 थे। वहां पर विनोद व नारायण भी आ गए फिर उन्होंने केकडी अस्पताल पहुंचाया व परिजनो को सूचित किया। टहलराम की हालत गंभीर होने से जयपुर पहुंचाया जहां इलाज के दौरान टहलराम की मृत्यु हो गयी। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया कि वह और टहलराम कोयला देखकर आ रहे थे। गवाह ने यह

स्वीकार किया कि पिकअप वाहन चालक वाहन को वहीं छोडकर भाग गया था। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि **वह वाहन चालक को शक्ल से नहीं जानता है, वह भाग गया था।** गवाह ने कथन किया कि उसने लिखकर सरवाड थाने में दी थी, जो उसकी हस्तलिखित थी। गवाह ने यह स्वीकार किया कि मृतक के घरवालों ने क्लेम पेश कर दिया एवं मृतक को क्लेम मिल जाए इसलिए ही वह रिपोर्ट देने गया था।

13. प्रकरण के अन्य गवाहन की साक्ष्य देखे तो गवाह **पी.ड. 2 विनोद** ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 30–09–2021 को वह व नारायण दोनो वैन से गांव में परचून का सामान सप्लायर करके सरवाड से केकडी जा रहे थे। जैसे ही सम्राट होटल से पहले पहुंचे रोड के किनारे टहलराम घायल अवस्था में पडा था एवं मनीराम उसे संभाल रहा था। टहलराम के एक पिकअप ने टक्कर मार दी थी एवं चालक पिकअप वही छोडकर भाग गया था। पिकअप के नम्बर **आरजे 19 जीएफ 3872** थे। तीनो ने टहलराम को केकडी अस्पताल पहुंचा व उसके परिजनो को सूचित किया। टेलाराम की हालत गंभीर होने से जयपुर पहुंचाया जहां इलाज के दौरान टेलाराम की मृत्यु हो गयी। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने यह स्वीकार किया कि टेहलराम उसके दोस्त का अंकल है, उसने अपने दोस्त को एक्सीडेन्ट की सूचना दी थी। गवाह ने यह स्वीकार किया कि एक्सीडेन्ट उन्होंने नहीं देखा। पिकअप मौके पर खडी थी, ड्राईवर मौके पर नहीं था। गवाह ने आगे कथन किया कि वह मौके पर नहीं था इसलिए नहीं बता सकता कि एक्सीडेन्ट कैसे हुआ। गवाह ने आगे कथनो में यह स्वीकार किया कि मृतक को एक्सीडेन्ट क्लेम मिल जाए इस वजह से वह बयान देने आया है।

14. अन्य गवाह पी.ड. 3 नारायण दास ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 30–09–2021 को वह व विनोद दोनो वैन से गांव में परचून का सामान सप्लायर करके सरवाड से केकडी जा रहे थे। जैसे ही सम्राट होटल से पहले पहुंचे रोड के किनारे टेलाराम घायल अवस्था में पडा था एवं मनीराम उसे संभाल रहा था। टेलाराम के एक पिकअप ने टक्कर मार दी थी एवं चालक पिकअप वही छोडकर भाग गया था। **पिकअप के नम्बर आरजे 19 जीएफ 3872 थे।** प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि टहलराम बीच रोड पर घायल अवस्था में पडा हुआ था। गवाह ने यह स्वीकार किया कि उसने एक्सीडेन्ट होते हुए नहीं देखा, मृतक को क्लेम दिलाने के हिसाब से गवाह बना है।

15. प्रकरण के अन्य गवाह पी.ड. 6 सुजीत पक्षद्रोही होकर मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 30–09–2021 को वह अपनी मोटरसाईकिल से केकडी गया था। वहां से वह दोपहर 2 बजे अजगरा चौराहे से आगे पहुंचा तो वहां पर एक्सीडेन्ट हो गया था। उसने सुना कि पिकअप से एक्सीडेन्ट हो गया थाा, जब वह वहां पहुंचा तब तक उसे लेकर चले गए थे। पिकअप के नम्बर उसे पता नहीं है। अभियोजन पक्ष की जिहर में गवाह ने इस तथ्य से इनकार किया कि एक्सीडेन्ट उसके सामने हुआ हो। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया कि एक्सीडेन्ट

Authenticated Document

के 10–15 मिनट बाद वह मौके पर गया था। गवाह ने यह स्वीकार किया कि उसके सामने कोई एक्सीडेन्ट नहीं हुआ था। गवाह ने कथन किया कि वह मौके पर नहीं था इसलिए नहीं बता सकता कि एक्सीडेन्ट किसकी गलती से हुआ।

16. गवाह पी.ड. 9 सम्पत पक्षद्रोही होकर मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 30–09–2021 को दोपहर 2 बजे उसकी होटल का निर्माण कार्य चल रहा था तो मजदूरो के लिए चाय लेने जा रहा था तब अजमेर से एक पिकअप आ रही थी, जिसने टहलाराम सिंधी के टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। **पिकअप के नम्बर आरजे 19 जीएफ 3872** थे। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसके आने से पहले ही एक्सीडेन्ट हो चुका था।

17. इस प्रकार प्रकरण में परीक्षित गवाहान की साक्ष्य को देखा जाए तो समस्त गवाहान ने समान रूप से दिनांक 30.09.2021 को वाहन पिकअप संख्या **आरजे 19 जीएफ 3872** द्वारा ही मृतक टहलराम की दुर्घटना कारित किए जाने का कथन किया है एवं मौके पर उक्त वाहन के खडे होना बताया है, जिससे उक्त जब्तशुदा वाहन पिकअप द्वारा दुर्घटना होने की सम्पुष्टि होती है, जिसका कोई विरोधाभास गवाहान की साक्ष्य में नहीं आया है, जिससे उक्त बिन्दु वाहन पिकअप सं. आरजे 19 जी.एफ. 3872 के द्वारा ही उक्त दुर्घटना कारित की गई, की सम्पुष्टि होती है।

घटक संख्या 2 – क्या वक्त दुर्घटना पिकअप का चालक अभियुक्त मंजर हसन स्वयं हो?

18. इस संबंध में प्रकरण परीक्षित कराए गए गवाहान की साक्ष्य को देखे तो **मनीराम पी.ड. 1 जो कि प्रकरण में प्रार्थी होकर मृतक टहलराम के साथ मौके पर था** ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है वह चालक को शक्ल से नहीं जानता हैं, वह भाग गया था। इसी प्रकार प्रकरण के अन्य गवाह जो बाद दुर्घटना मौके पर पहुंचे थे पी.ड. 2 विनोद ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि पिकअप मौके पर खडी थी, ड्राईवर मौके पर नहीं था। वहीं प्रकरण के अन्य गवाह पी.ड. 3 नारायणदास, पी.ड. 6 सुजीत एवं पी.ड. 9 सम्पत ने अपने–अपने कथनों में दुर्घटना वाहन पिकअप से होने का कथन किया है, लेकिन वक्त दुर्घटना उक्त पिकअप को मंजर हसन द्वारा परिवहनित किया जा रहा हो, इस संबंध में किसी प्रकार का कथन नहीं किया है। अपितु गवाह पी.ड. 9 सम्पत ने कथन किया कि पिकअप ड्राईवर मौके से भाग गया था, इसलिए उसे नाम पता नहीं है। इस प्रकार प्रकरण में परीक्षित गवाहान ने मृतक टहलराम का एक्सीडेन्ट पिकअप संख्या **आरजे 19 जीएफ 3872** से होना तो स्वीकार किया है, परन्तु गवाहान ने वक्त दुर्घटना उक्त पिकअप मंजर हसन द्वारा परिवहनित किया जा रहा हो अथवा उसके द्वारा वाहन को लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की

Authenticated Document

गयी हो इस संबंध में किसी प्रकार का कथन नहीं किया है जिससे उक्त बिन्दु वक्त दुर्घटना पिकअप का चालक अभियुक्त मंजर हसन स्वयं हो, की सम्पुष्टि **नहीं** होती है।

घटक संख्या 3– अभियुक्त द्वारा वाहन उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण तरीके से निर्गमित हो?

19. प्रकरण में परीक्षित चक्षुदर्शी साक्षीगण एवं अन्य गवाहन ने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन पिकअप संख्या आरजे 19 जीएफ 3872 की सम्पुष्टि की है परन्तु उसके चालक के संबंध में किसी प्रकार का कोई कथन नहीं किया है, जिससे दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन का अभियुक्त से संबंध स्थापित नहीं हो पाया है। मौके पर मृतक के साथ उपस्थित गवाह/प्रार्थी मनीराम द्वारा वाहन चालक द्वारा मौके पर भाग जाने के कारण शक्ल से नहीं जानने का कथन किया गया है, वहीं अन्य गवाहान ने द्वारा उनका दुर्घटना होने के पश्चात मौके पर पहुंचना एवं किसकी गलती से एक्सीडेन्ट हुआ तथा दुर्घटना के बाद मौके पर पिकअप वाहन खडे होना तो स्वीकार किया लेकिन वक्त दुर्घटना उक्त दुर्घटनाकारित वाहन का चालक कौन था इस संबंध में किसी प्रकार का कथन नहीं किया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष उक्त बिन्दु अभियुक्त द्वारा वाहन को उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाया गया हो, साबित नहीं कर पाया है।

20. प्रकरण में अनुसंधानकर्ता द्वारा अभियुक्त मंजर हसन को वाहन चालक के रूप में फर्द प्रदर्श पी–10 नोटिस धारा 133/134 एमवी एक्ट के आधार पर बतौर अभियुक्त संयोजित किया गया। प्रदर्श पी–10 में सी से डी भाग में वाहन स्वामी मंजर हसन द्वारा यह अंकित किया कि पिकअप बोलेरो संख्या आरजे 19 जी.एफ. 3872 का वह स्वामी है एवं दिनांक 30.09.2021 को वह बिलाडा से टोडारायसेन जा रहा था एवं उक्त पिकअप को दुर्घटना के समय 2 पी.एम वह स्वयं चला रहा था। प्रकरण में प्रदर्श पी–10 के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य इस कथन को उजागर नहीं करते कि वक्त घटना वाहन पिकअप बोलेरो संख्या आरजे 19 जी.एफ. 3872 अभियुक्त मंजर हसन द्वारा परिवहनित किया जा रहा हो। अभियोजन पक्ष को अन्य साक्ष्य के माध्यम से प्रदर्श पी–10 संदेह से परे साबित करना आवश्यक था। **हस्तगत प्रकरण में स्वयं प्रार्थी/शिकायतकर्ता एवं चक्षुदर्शी साक्षियों के द्वारा इस तथ्य को संदेह से परे साबित नहीं किया गया है कि वक्त घटना पिकअप बोलेरो संख्या आरजे 19 जी.एफ. 3872 अभियुक्त द्वारा ही परिवहनित किया जा रहा हो।**

21. माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किए गए है कि धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस एक सम्पोषक साक्ष्य ((Corroborative Evidence)) है, परंतु इसे साक्ष्य के सारगर्भित अंश (Substensive Piece of Evidence) के तौर पर नहीं माना जा सकता। ऐसे में न्यायालय के समक्ष

Authenticated Document

यह तथ्य संदेह से परे साबित नहीं होता कि वक्त घटना पिकअप बोलेरो संख्या आरजे 19 जी.एफ. 3872 अभियुक्त मंजर हसन के द्वारा ही परिवहनित किया जा रहा हो।

22. प्रकरण के प्रकरण में जब्तशुदा वाहन के मैकेनिकल मुआयना प्रदर्श पी–8 की सम्पुष्टि हेतु गवाह में पी.ड. 7 सत्यवीर को मैकेनिकल मुआयनाकर्ता के रूप में परीक्षित करवाया गया है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में वाहन पिकअप बोलेरो नं आरजे 19 जी.एफ 3872 का मैकेनिकल मुआयना किया जाना जिसमें वाहन के सामने का बम्पर खलासी साइड से उखडा हुआ होने का कथन किया है। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि बम्पर पहले से उखडा हुआ था या नहीं वह नही बता सकता लेकिन जब उसने मुआयना किया तब उखडा हुआ था। प्रकरण के अन्य गवाह पी.ड. 4 ललित, पी.ड. 5 योगेन्द्र, पी.ड. 10 रोडू एवं पी.ड. 12 अली हसन फर्द जब्ती, पंचायतनामा लाश, एवं फर्द सुपुर्दगी लाश, नक्शा मौका के औपचारिक गवाह है। गवाह पी.ड. 11 डॉ गजेन्द्र पाल मृतक के पोस्टमार्टम के साक्षी है, जिसने अपनी साक्ष्य में मृतक का कारण कोमा होना बताया है।

23. प्रकरण के अन्य गवाह पी.ड. 8 मोहनलाल अनुसंधान अधिकारी है, जिसने मुख्य परीक्षण में अनुसंधान के दौरान की गयी कार्यवाही की सम्पुष्टि की है। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–3 नक्शा मौका में घटनास्थल के आस–पास के बयान लेखबद्ध नहीं है, मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट हेतु दी गयी तहरीर में ओवरराइटिंग है। नक्शा मौका, यांत्रिक परीक्षण रिपोर्ट तथा अन्य वस्तुनिष्ठ साक्ष्य से भी प्रकरण में वांछित वाहन चालक द्वारा Wrong Side Driving, Dangerous Overtaking, skid marks, Traffic Rule Violation, अथवा अन्य किसी स्पष्ट लापरवाहीपूर्ण आचरण को प्रदर्शित नहीं करते।

24. **प्रकरण में प्रस्तुत समस्त साक्षियों के साक्ष्य के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि प्रकरण में प्रार्थी एवं अन्य गवाहान की साक्ष्य से इस तथ्य की सम्पुष्टि तो होती है कि दुर्घटना जब्तशुदा वाहन पिकअप संख्या आरजे 19 जी.एफ. 3872 से कारित हुई थी, परन्तु** प्रकरण में परीक्षित किसी भी गवाह ने वक्त दुर्घटना अभियुक्त मंजर हसन को उक्त वाहन को परिवहिनत किए जाने एवं वक्त दुर्घटना दुर्घटनास्थल पर होने का कथन नहीं किया है, न ही वाहन चालक के रूप में अभियुक्त पहचान स्थापित की है। प्रकरण में परीक्षित प्रार्थी ने जहां मृतक व स्वयं का मौके पर बस का इन्तजार करने का कथन किया है, वही अन्य गवाहान द्वारा मृतक की मोटरसाईकिल साइड में पडी होने का कथन किया है जो सम्पूर्ण अभियोजन कहानी में परस्पर विरोधाभास उत्पन्न करती है। **साथ ही प्रार्थी एवं अन्य गवाहान ने यह भी स्वीकार किया है कि उक्त मुकदमा मृतक को क्लेम दिलाने वास्ते किया गया था,** जिससे उनकी गवाही स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होने के संबंध में सावधानीपूर्वक परीक्षण आवश्यक हो जाता है। उनके कथनों से अभियुक्त द्वारा किए गए किसी विशिष्ट उतावले या लापरवाहीपूर्ण कृत्य का स्पष्ट एवं विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध नहीं होता।

Authenticated Document

न्यायालय के विनम्र मत में मात्र दुर्घटना का घटित होना तथा किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना धारा 279 एवं 304A IPC के अपराध को स्वतः सिद्ध नहीं करता। अपराध के आवश्यक तत्व अर्थात rashness और criminal negligence संदेह से परे सिद्ध न होने के कारण अभियुक्त संदेह के लाभ का अधिकारी है। सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों ने बार–बार विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि – Mere high speed is not rashness. केवल "तेज गति" का सामान्य कथन धारा 279/304A IPC के लिए पर्याप्त नहीं माना जाता है। प्रकरण में अभियोजन पक्ष को इस तथ्य को संदेह से परे साबित करना था कि अभियुक्त मंजर हसन द्वारा वाहन पिकअप संख्या आरजे 19 जी.एफ. 3872 उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक परिवहनित कर दुर्घटना कारित की गयी, परन्तु अभियोजन पक्ष उक्त बिन्दु को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

25. अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त मंजर हसन के विरूद्ध आरोपित अपराध को अभियोजन पक्ष संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। इस प्रकार पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त मंजर हसन को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भा.दं.सं. के आरोपों में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश::–

26. अतः अभियुक्त मंजर हसन पुत्र जफर अली उम्र 43 साल निवासी मुसलामानो का बास, पिचियाक पुलिस थाना बिलाडा जिला जोधपुर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भा.दं.सं. के आरोपों में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। प्रकरण में प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा/जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निरस्त समझा जावे।

{ नवीन मीणा }
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरवाड़
जिला–अजमेर

27. निर्णय व आदेश आज दिनांक 05.06.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

{ नवीन मीणा }
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरवाड़
जिला–अजमेर

Authenticated Document

HARISH SHARMA

Digitally signed by HARISH SHARMA
Date: 2026.06.06 09:42:04 +0530